संख्या-36/2020/705/71-2-20-पी-30/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के मद संस्थान हेतु स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत हो रही बचतों के सापेक्ष उपकरणों के क्रय के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट/19-20/1133, दिनांक 18-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के क्रमांक-1, 2 व 3 पर उल्लिखित उपकरणों के क्रय की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के अंतर्गत संस्थान के उपकरण क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 30.00 करोड के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 30.00 करोड की सीमा के अंतर्गत ही उपकरणों की लागत के औचित्य (Price Justification) का तर्कसंगत रूप से निर्धारण किये जाने के उपरान्त ही एवं नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करके ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा। पूर्व में निर्गत शासनादेशों की शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के अंतर्गत संस्थान एवं ट्रामा सेन्टर हेतु उपकरण मद में अवमुक्त कुल धनराशि रू0 56.95 करोड के सापेक्ष हो रही संभावित बचत की सीमा तक, तालिका के क्रमांक-4 पर उल्लिखित उपकरण COVID-19 WARD हेतु क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करके ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-36/2020/705(1)/71-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-36/2020/705/71-2-20-पी-30/2016 टी0सी0-1 दिनांक 26 मार्च, 2020 का संलग्नक-1

क्र0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	संख्या
1	**Neuro Surgery**	Electro Hydraulic Operation Theatre with Head Fixing Frame with all accessories for NeuroSurgery OT	04
2	**Pathology**	Microtome	04
		Fluorescent Microscope for FISH Analysis	01
3	**Neonatology**	Multiparameter Monitors with Central Monitoring Facility for Neonates	08
4	**COVID-19 Ward**	Syringe Infusion Pumps	30
		Multipara Patient Monitor (07 para or more)	20
		Thermal Imager/Sensor	01
		Infrared Thermometer	05
		Air Conditioner, Regrigerator, Furniture and other equipment of emergent nature, etc	--

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।